न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1.अपीलडिक्री./टीए./3368/2004/अलवर

1 राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर, जिला अलवर ।
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1.सुगला
2 ख्याली
3 प्रहलाद
4. राधेश्याम
5.रामनारायण
पुत्रगण श्री बोदन जाति गुजर निवासी ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

रेस्पोडेण्ट्स

2.अपीलडिक्री./टीए./2130/2005/अलवर

1 सुगला
2 ख्याली
3 प्रहलाद
4. राधेश्याम
5.रामनारायण
पुत्रगण श्री बोदन जाति गुजर निवासी ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर, जिला अलवर ।
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः

श्री वी.पी.सिंह, अभिभाषकगण अपीलाण्ट्स
श्री मदनलाल गुर्जर,अभिभाषकगण रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 12.7.18

हस्तगत दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–1–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

चूंकि दोनों अपीलों में पक्षकार, तथ्य एवं निर्धारण योग्य कानूनी बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. दोनों प्रकरणों के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी सुगला ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत अपीलाण्ट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 106 मिन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नंबर 287 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 122 मिन करबा 24 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 133 मिन रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा हाल खसरा नंबर 358 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 8 बीघा 6 बिस्वा ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर में स्थित है, जो कि वादीगण के पिता के हकुक कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है एवं बोदन के कब्जे में संवत 2009 से बदस्तुर चली आ रही है । वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के बाद वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व के वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आने के कारण वादीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है विवादित भूमि कभी भी चरागाह नहीं रही किन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज होने से रेस्पोडण्ट उसे बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं । इस कारण यह दावा प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

13–10–2003 द्वारा वादीगण का दावा निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–1–2004 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए वादीगण सुगला का दावा डिक्री कर दिया ।

पहली अपील संख्या 3368/2004 राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2004 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

दूसरी अपील संख्या 2130/2005 राज्य सरकार के विरूद्ध अपीलाण्ट सुगला द्वारा प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की गई कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2004 बाबत शेष रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–10–2003 को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट को विवादित 8 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13–10–2003 में अपीलाण्ट सुगला के दावे को खारिज किया था उन्होने अपने आदेश में यह माना है कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से यह साबित होता है कि वादी के पिता बोदन विवादित आराजी के साबिक खसरा नंबर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व काबिज काश्त खातेदार था फलस्वरूप वादीगण अब विरासतन विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार नहीं माने जा सकते हैं । अतः वादीगण खातेदारी अधिकार विवादित आराजी पर पाने के अधिकारी नहीं है । वर्तमान में विवादित आराजी चारागाह की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।

उक्त आदेश की अपील अपीलाण्ट सुगला द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां किए जाने पर उन्होंने अपील को स्वीकार करते हुए खसरा

नंबर 358 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में से 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर वादीगण अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त आराजी रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा पर चारागाह की प्रविष्टि को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण अपीलाण्ट का नाम बतौर काबिज काश्ताकर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए हैं।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर ये अपील एक राज्य सरकार द्वारा एवं एक अपीलाण्ट सूगला द्वारा प्रस्तुत कर राज्य सरकार के द्वारा राजस्व अपील अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 22-1-04 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया और अपीलाण्ट सूगला को शेष भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। उक्त आदेश के विरूद्व ये दोनों द्वितीय अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषकगण का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कथन है कि विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें रेस्पोडण्ेट के दावे को खारिज किया था राजस्व अपील अधिकारी द्वारा रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा पर वादीगण अपीलाण्ट का नाम बतौर काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश जो दिया है वह विधिसम्मत नहीं है । पूर्व में खसरा नंबर 133 रकबा 17 बीघा था जिसका नया नंबर 358 बनाया है यह 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस खसरा में शामिल की गई है यह स्थिति कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि यह भूमि किसके नाम से दर्ज है जिससे अपीलाण्ट बोदन के द्वारा अपनी अपील में सम्पूर्ण तथ्यों को साबित नहीं कराया है । अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषकगण ने तर्क दिया कि संवत 2048 में भूमि चारागाह दर्ज है और यह सेट्लमेंट की गलती से हुआ है । सेट्लमेंट को पुरानी प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिए सेट्लमेंट को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है और आंशिक रूप से स्वीकार करने के कारण उन्हें 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि दी गई है जब कि उनहें कुल 8 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था । अतः उनकी अपील स्वीकार की राज्य सरकार की अपील खरिज की जावे ।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2009 से 2013 प्रदर्श 1 में खसरा नंबर 133 रकबा 17 बीघा दर्ज किया हुआ है कृषक के रूप में रणजीत इन्या बोधन इत्यादि अंकित किया हुआ है । जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत 2013 से 2017 प्रदर्श–3 में बोदन पुत्र अर्जन साढे छ बैल विभिन्न खसरों` बारे में अंकित किया है जिसमें अन्य खातेदारों के भी नाम अंकित है । संवत 2029 के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के अनुसार खसरा नंबर 133 मिन रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि हाल खसरा नंबर 358 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा शामिल है । जमाबन्दी संवत 2013 से 2014 में भी खसरा नंबर 133 रकबा 17 बीघा पर बोदन के अलावा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है । जमाबन्दी संवत 2013–14 प्रदर्श–5 में खसरा नंबर 133 रकबा 17 बीघा पर भी बोदन का नाम साढे छः बैल के रूप में अन्य काश्तकारों के साथ दर्ज है । प्रदर्श–7 जमबान्दी संवत 2048 में विवादित आराजी खसरा नंबर 358 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा चारागाह के रूप में दर्ज है ।

8. प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड में खसरा नंबर 133 पर अन्य काश्तकारों के नाम के साथ बोदन का नाम अवश्य आया है । अन्य काश्तकारों को दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जिसे पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता

है कि चरागाह भूमि में सम्मिलित खसरा नंबर 133 का भाग बोदन के हिस्से का ही चारागाह में दर्ज है । बोदन के द्वारा अपने पक्ष में कब्जा काश्त के बारे में कोई स्पष्ट दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए है । यदि उनका कब्जा था तो उन्हें खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करनी चाहिए थी । मौखिक साक्ष्य के आधार पर उनका कब्जा काश्त साबित नहीं माना जा सकता है । मौखिक साक्ष्य पर विश्वास तभी किया जा सकता है जब कि वे दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता हो ।

9. मिलान क्षेत्रफल भी पूर्ण स्थिति स्पष्ट नही होती है कि खसरा नंबर 133 का शेष भाग की क्या स्थिति है? यदि अपीलाण्ट सूगला को अपने पक्ष में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी कि 133 का कुल रकबा 17 बीघा था जिसमें से केवल मात्र 8 बीघा 8 बिस्वा ही खसरा नंबर 358 में शामिल किया शेष रकबे पर खातेदारी किसे दी गई है यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी का निष्कर्ष सही नहीं कहा जा सकता है ।

10. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट सूगला की अपील खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 22-1-2004 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष